बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)-.U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु० 5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

ई० कमल किशोर प्रसाद
मुख्य अभियंता

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727
मोबाईल नं० : 9471006801
ई–मेल : cepolicenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

पत्रांक : Reg 1/2326

दिनांक : ...../...../2024

कार्यालय आदेश–..377./2024

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अन्य कार्यों के अतिरिक्त निविदा सूचना सं0–51/2023–24 ग्रुप सं0 19,23,24,17 के माध्यम से, गया जिलान्तर्गत फतेहपुर थाना भवन, मोहनपुर थाना भवन, गुरूआ थाना भवन एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–03 बोधगया में 12 एल0 एस0 आवास ब्लॉक–एच का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

2. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–06.02.2024 से 15.02.2024 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

3. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 19 के आलोक में गया जिलान्तर्गत फतेहपुर थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 03 संवेदकों के द्वारा यथा–मे0 माँ शान्ति इन्टरप्राईजेज, 2–मे0 कुमार ट्रेडर्स तथा 3–रंजीता कुमारी द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

4. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 23 के आलोक में गया जिलान्तर्गत मोहनपुर थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 02 संवेदकों के द्वारा यथा–रंजीता कुमारी तथा 3–मे0 कुमार ट्रेडर्स द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

5. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 24 के आलोक में गया जिलान्तर्गत गुरूआ थाना भवन का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 02 संवेदकों के द्वारा यथा– मे0 कुमार ट्रेडर्स तथा 2–बसंत कन्स्ट्रकशन द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

6. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 ग्रुप सं0 17 के आलोक में गया जिलान्तर्गत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–03 बोधगया में 12 एल0 एस0 आवास ब्लॉक–एच का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य हेतु 02 संवेदकों के द्वारा यथा–रंजीता कुमारी तथा 2–मे0 कुमार ट्रेडर्स द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

7. निविदा सूचना सं0–51/2023-24 के उक्त चारों मरम्मति कार्यों का निविदा कागजात डाउन लोड किया गया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में दिनांक–11.06.2024 को हुई मोनेटरिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गया जिलान्तर्गत फतेहपुर थाना भवन, मोहनपुर थाना भवन, गुरूआ थाना भवन एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–03 बोधगया में 12 एल0 एस0 आवास ब्लॉक–एच का विद्युतिकारण सहित मरम्मति कार्य न्यूनतम दर क्रमशः 12,83,041/– का 27.51% नीचे यानी 9,30,076/– मात्र पर, 13,02,543/– का 27.51% नीचे यानी 9,44,213/– मात्र पर, 18,83,623/– का 27.51% नीचे यानी 9,30,498/–मात्र पर एवं 13,88,972/– का 27.51% नीचे यानी 10,06,866/– मात्र पर, मे0 कुमार ट्रेडर्स को उक्त चारों मरम्मति कार्य आवंटित किया गया है।

8. कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा उपर्युक्त चारों मरम्मति कार्य के इकरारनामा के लिए अपने कार्यालय पत्रांक–1097,1083,1094 दिनांक–19.06.2024, पत्रांक–1203,1202,1204,1198 दिनांक–05.07.2024, पत्रांक–1127 दिनांक–26.06.2024 एवं पत्रांक–1363,1362,1364 दिनांक–25.07.2024 से पत्राचार किया गया एवं अनेकों बार मे0 कुमार ट्रेडर्स को दूरभाष के माध्यम से भी सूचित किया गया, परन्तु मे0 कुमार ट्रेडर्स के द्वारा आज तक उक्त चारों कार्यों में से किसी एक कार्य का भी इकरारनामा कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के साथ नहीं किया गया है।

9. कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा उपर्युक्त चारों मरम्मति कार्य के इकरारनामा ससमय नही किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी उक्त बिन्दुओं पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना की ओर से पत्रांक– HQ 3826 दिनांक–13.09.2024 के माध्यम से श्री सुमन शर्मा, मे0 कुमार ट्रेडर्स, ग्राम+पो0–चिरौरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना, पिन कोड–801109 से इकरारनामा ससमय नही किये जाने पर, कारण पृच्छा करते हुये पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, साथ ही स्पष्टीकरण में यह हिदायत भी किया गया की, ससमय उक्त चारों मरम्मति कार्यों का इकरारनामा नहीं करने के कारण क्यों नहीं आपकी प्रोपराईटरशिप फर्म मे0 कुमार ट्रेडर्स के निबंधन, निबंधन सं0–तृतीय 116/2021–22 (प्रोपराईटर) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11.(क).8 के तहत काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाय।

10. कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी–ऑन–सोन, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराया गया की मे0 कुमार ट्रेडर्स के द्वारा अभी तक इकरारनामा की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, तथा दिनांक–23.09.2024 तक कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया है।

11. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मे0 कुमार ट्रेडर्स को उक्त चारों मरम्मति कार्यों के इकरारनामा करने में कोई रूचि नहीं रखते है।

12. अतः बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11.(क).8 (एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक इकरारनामा नहीं करना) के प्रावधानों के तहत, प्रोपराईटरशिप फर्म मे0 कुमार ट्रेडर्स के निबंधन सं0– तृतीय 116/2021–22 (प्रोपराईटर), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, को इस आदेश निर्गत होने की तिथि से, अगले दो वर्षो के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांकः–Ho 3925 पटना, दिनांकः– 24/9/2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (मो0)/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–1 एवं 2/कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0, गुणनियंत्रण/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमण्डल, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कमल किशोर प्रसाद)
मुख्य अभियंता।